

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-3/पीएमसी(कार्य)-80/2012-13 15/20-21 प्र.सं. /राँची, दिनांक:-01-02-2021

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिन्डू राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत काँची वीयर योजना के मुख्य शीर्ष में लगे गेटों का जीर्णोद्धार कार्य हेतु रु० 165.233 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख तेईस हजार तीन सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत काँची वीयर योजना के मुख्य शीर्ष में लगे गेटों का जीर्णोद्धार कार्य हेतु रु० 165.233 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख तेईस हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-
 - (i) काँची वीयर योजना के मुख्य शीर्ष में लगे 2 अदद H/R, 5 अदद C/R एवं 1 अदद Under Sluice gate के रोलर, खर सील, S.S. Plate का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य।
 - (ii) प्रस्तावित गेटों में Under Sluice gate एवं C/R गेटों में Shed का प्रावधान तथा H/R गेट Shed का मरम्मत कार्य।
 - (iii) पूर्व के उत्तोलन प्रणाली Winch Crab System को बदलकर Double Stage rope drum system का अधिष्ठापन एवं निर्माण कार्य।

उक्त प्रस्तावित सभी कार्य का अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत है :-

Sl. No.	Description of work	Amount (Rs.)
1.	Fabrication, fitting and fixing of chequered plate in 5 Nos. C/R, 2 Nos. H/R and 1 nos. U/S gate.	1773484.92
2.	Fabrication fitting and fixing of seal seat, seal clamp, roller track etc. in U/S, C/R and H/R gate.	1900622.32
3.	Supplying, fabrication and fitting of double rope drum with two stage gear pinion arrangement along with speed reduction unit of 20 MT capacity in U/S C/R and H/R gate.	6920000.00
4.	Fabrication, Supplying, fitting and fixing of shade, rolling shutter of U/S, H/R and C/R gate with Maintenance, Repair and Operation of Provisional Gates for three years. All complete job as per specification and direction of E/I.	2007180.72
5.	Others	1862304.21
	Total	14463592.17
	GST@12% of item	1735631.06
	Total	16199223.23
	Labour Cess@1%	161992.23
	Contingency @1%	161992.23
	Grand Total :-	16523207.69
	Say	165.233 Lakh

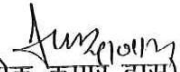
3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2020-21, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
9. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. कार्य में निकलने वाले सामग्रियों का स्क्रेप मूल्य वर्तमान दर के 40% की राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
12. योजना हेतु पूर्व से स्वीकृत संरचनाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने के पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ली जाएगी।
13. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
14. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
15. कार्य कराने वाली Agency/संवेदक द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले तीन (03) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जायेगा।
16. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्पाल के आदेश से,


प्रशांत कुमार
सचिव

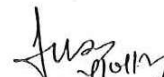
पत्रांक:-3/पी०एम०सी०(कार्य)-80/2012-13 15/20-21 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2021

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०(कार्य)-80/2012-13 15/20-21 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2021

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

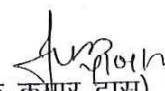
पत्रांक:-3/पी०एम०सी०(कार्य)-80/2012-13 15/20-21 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2021

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मॉनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

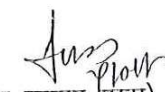
पत्रांक:-3/पी०एम०सी०(कार्य)-80/2012-13 15/20-21 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2021

प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०(कार्य)-80/2012-13 15/20-21 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2021

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

